न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 19/2014
प्रकरण दर्ज तिथि :— 05.03.2014
जीसीएमएस नम्बर :— 2014/00028

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मुलसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति रावत निवासी रामगढ़ ढाणी रायपुर तह. रायपुर		1. नैनु पुत्र भीमा (फौत) के. का.मु 1.1 जीवणसिंह पुत्र नेनुसिंह 1.2 मनोहरसिंह पुत्र नेनुसिंह 2. बाबुसिंह पुत्र दत्तक पुत्र सुरता 3. नारायण पुत्र मोती 4. हरी पुत्र मोती 5. रामा पुत्र मोती 6. मेधा पुत्र मोती 7. बरदी पत्नि माला 8. तेजसिंह पुत्र माला 9. मोतीसिंह पुत्र माला 10. ओमसिंह पुत्र बाबुसिंह 11. खीमसिंह पुत्र बाबुसिंह 12. भंवरसिंह पुत्र लाला 13. हेमसिंह पुत्र लाला 14. तुलसी देवी पत्नि नारायणसिंह 15. सीता देवी पत्नि बुधेसिंह जातियान रावत निवासी रामगढ़ ढाणी रायपुर तह. रायपुर 16. उपपंजीयन रायपुर 17. तहसीलदार रायपुर (पाली)

दावा बाबत् बंटवाड़ा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53ए, 88 व 188 राज. काश्त. अधि.

उपस्थित 1 श्री भवानीसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण

2 एक पक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः **04.12.2024**

वादीगण की ओर से वकील श्री भवानीसिंह सोलंकी द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा लक्की तालाब, पटवार हल्का रायपुर प्रथम के खसरा नंबर 1009 रकबा 01 बिघा 07 बिस्वा, ख.स. 1010 रकबा 27 बिघा 02 बिस्वा उपरोक्त वर्णित

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आराजीयात को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से संबोधित किया जायेगा। तथा वादग्रस्त आराजीयात की जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 वाद पत्र के साथ पेश हैं जिसे वाद पत्र की आवश्यक भाग माना जावें। वादग्रस्त आराजीयात में खरीद कर दिनांक 26.04.2002 बतौर खातेदार काश्तकार वादी का वाद ग्रस्त आराजीयात में 1/4 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 2 का वादग्रस्त आराजीयात में संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा हैं जिसे वादपत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाया गा हैं लाल रंग में वादी का हिस्सा दर्शाया हुआ हैं उसी के अनुसार मौके पर काबिज हैं तथा उपरोक्त कृषि भूमि का नजरी नक्शा वाद पत्र के साथ पेश हैं उसे वाद पत्र का आवश्यक भाग समझा जावें। वादी अपने सह खातेदारान प्रतिवादीगण के साथ जमाबन्दी में दर्ज अपने अपने हिस्सों के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक के करती चली आ रही हैं तथा मौके पर वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में बंटवाड़ा कर रखा हैं तथा उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त कर रहे है। ऐसी स्थिति में अब कानूनन प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 15 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 15 स्वयं उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, यार, दोस्त नौकर चाकर, ऐजेन्ट मुख्यार मजदुरी,मिस्त्री हाली असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति हो वे पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण की भूमि व उसके हिस्से में नही आवे ना ही वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण की भूमि व उसके हिस्से में नही आवे ना ही वादीगण के कब्जे, अधिकार, काश्त की भूमि में किसी तरह की कोई दखलन्दाजी नही करें ना ही कोई बाधा अथवा अड़चन उत्पन्न करें, और ना ही वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करे, ना ही उसमें कोई तोड़फोड़, तरमीम, तब्दील,परिर्वतन या निर्माण आदि करें, ना ही वादग्रस्त भूमि को अथवा उसके किसी भाग को अपने नाम अंकित होने का नाजायज फायदा उठाते हुये किसी अन्य को बैचान करें ना ही बैचान का कोई विलेख निष्पादित करें, ना ही उसे पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर, ना ही करावें।

अतः वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 15 बावजुद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व दिनांक 28.03.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी मौके पर कब्जा काश्त एंव रेकर्ड के हिस्से अनुसार बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड वाऊण्डस करने की प्रार्थना करते है। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों पर वहस सुनी। वकील वादी माफिक रेकर्ड एंव मौका स्थिति अनुसार बन्टवाडा हेतु सहमत हैं। अतः माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें के आदेश दिये गये हैं।

माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया गया, तहसीलदार रायपुर ने

सहायक कलेक्टर एवं अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

विवादित भुमि का अपने पत्र कमांक राजस्व/2023/316 दिनांक 27.10.2023 के द्वारा प्राथमिक डिकी के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

अधिवक्तागण ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव अवलोकन किया गया हैं। वादी अधिवक्ता ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की हैं। बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस समायत की गई। बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा लक्की तालाब पटवार हल्का रायपुर प्रथम के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न हैं।

क स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा है	किस्म	लगान
1	मूलसिंह पुत्र मोतीसिंह पूर्ण जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार	1010/2 1009/1	1.0967 0.0546	बा.दो. बा.दो.	–
		2	1.1513	बा. दो.	–
2	5. नेनू पुत्र भीमा हिस्सा 1/9 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार 7 वायुसिंह दत्तक पुत्र सुरता हिस्सा 1/9 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार 16. हरी पुत्र मोती हिस्सा 1/36 जाति रावत सा. रामगढ़ हिस्सा 1/36 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रायपुर 13. वरदी पत्नि मालसिंह हिस्सा 1/12 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार 11. मोतीसिंह पुत्र माला हिस्सा 1/12 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार 3. तेजसिंह पुत्र माला हिस्सा 1/12 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार हिस्सा 1/12 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रायपुर 8. भंवरसिंह पुत्र लाला हिस्सा 1/12 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार 15. हेमसिंह पुत्र लाला हिस्सा 1/12 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार 4. तुलसीदेवी पत्नि नारायणसिंह हिस्सा 1/12 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार हिस्सा 1/12 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रायपुर 14. सीतादेवी पत्नि बुधेसिंह हिस्सा 1/12 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार 12. रामा पुत्र मोती हिस्सा 1/36 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार 9. मेघा पुत्र मोती हिस्सा 1/36 जाति रावत सा. रामगढ़ 6. नारायण पुत्र मोती हिस्सा 1/36 जाति रावत सा. रामगढ़ 1 ओमसिंह पुत्र बाबूसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत सा. रामगढ़	1010 1009 1010/3	3.2000 0.1639 0.0901	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	–

सहायक [illegible] अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

	2 खीमसिंह पुत्र बाबूसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत सा. रामगढ़				
		3	3.4540	बा. दो.	–

बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर

यह निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बमुकाम – रायपुर

बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

वादी बनाम प्रतिवादीगण

1. मूलसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति रावत निवासी रामगढ़ ढाणी रायपुर तह. रायपुर

1. नेनु पुत्र भीमा (फौत) के का.मु.
1.1 जीवणसिंह पुत्र नेनुसिंह
1.2 मनोहरसिंह पुत्र नेनुसिंह
2. बाबुसिंह पुत्र दत्तक पुत्र सुरता
3. नारायण पुत्र मोती
4. हरी पुत्र मोती
5. रामा पुत्र मोती
6. मेघा पुत्र मोती
7. वरदी पत्नि माला
8. तेजसिंह पुत्र माला
9. मोतीसिंह पुत्र माला
10. ओमसिंह पुत्र बाबुसिंह
11. खीमसिंह पुत्र बाबुसिंह
12. भंवरसिंह पुत्र लाला
13. हेमसिंह पुत्र लाला
14. तुलसी देवी पत्नि नारायणसिंह
15. रीता देवी पत्नि बुधेसिंह जातियान रावत निवासी रामगढ़ ढाणी रायपुर तह. रायपुर
16. उपपंजीयन रायपुर
17. तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् बंटवाड़ा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53ए, 88 व 188 राज. काश्त. अधि.

राजस्व वाद 19/14

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भवानीसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव एक पक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा लक्की तालाब पटवार हल्का रायपुर प्रथम के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न हैं।

क्र स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा है	किस्म	लगान
1	मूलसिंह पुत्र मोतीसिंह पूर्ण जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार	1010/2 1009/1	1.0967 0.0546	बा.दो. बा.दो.	–
		2	1.1513	बा. दो.	–
2	5. नेनू पुत्र भीमा हिस्सा 1/9 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार 7 बाबुसिंह दत्तक पुत्र सुरता हिस्सा 1/9 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार 16. हरी पुत्र मोती हिस्सा 1/36 जाति रावत सा. रामगढ़ हिस्सा 1/36 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रायपुर 13. वरदी पत्नि मालसिंह हिस्सा 1/12 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार 11. मोतीसिंह पुत्र माला हिस्सा 1/12 जाति	1010 1009 1010/3	3.2000 0.1639 0.0901	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	–

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

	रावत सा. रामगढ़ खातेदार 3. तेजसिंह पुत्र माला हिस्सा 1/12 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार हिस्सा 1/12 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रायपुर 8. भंवरसिंह पुत्र लाला हिस्सा 1/12 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार 15. हेमसिंह पुत्र लाला हिस्सा 1/12 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार 4. तुलसीदेवी पत्नि नारायणसिंह हिस्सा 1/12 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार हिस्सा 1/12 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रायपुर 14. सीतादेवी पत्नि बुधेसिंह हिस्सा 1/12 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार 12. रामा पुत्र मोती हिस्सा 1/36 जाति रावत सा. रामगढ़ खातेदार 9. मेघा पुत्र मोती हिस्सा 1/36 जाति रावत सा. रामगढ़ 6. नारायण पुत्र मोती हिस्सा 1/36 जाति रावत सा. रामगढ़ 1 ओमसिंह पुत्र बाबूसिह हिस्सा 1/24 जाति रावत सा. रामगढ़ 2 खीमसिंह पुत्र बाबूसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत सा. रामगढ़	3	3.4540	या. दो.	–

बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है।

नीज......................×.................मुबलिक...............×.............बाबत...........×............ खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×..........................को अदा करे। .....×................फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.12.2024 को जारी किया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर

मुद्दई		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	06	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	10	00
मेहनताना वकील	–		
खर्चा गवाहान	–		
फीस कमिश्नर	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	5	00
मुतफरिक	–		
मीजान		23	00

मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प हाजरी	–		
मेहनताना वकील पर	–		
खर्चा गवाहान	–		
फीस कमिश्नर	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	00	00
मुतफरिक			
मीजान		00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)